2020/00230

फर्द अहकाम

न्यायालय [illegible]

राधेश्याम बनाम बदरी

मुकदमा संख्या / वर्ष 129 / 20[illegible]

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/10/21	राजस्थान [illegible] 2021 [illegible] तुंगा [illegible] 03/12/21 [illegible] हो। [illegible] हो।
	03/12/21	पत्रावली [illegible] प्रशासन गाँवों के संग अभियान [illegible] तुंगा [illegible] पेश [illegible] कोई [illegible] होने से [illegible] पत्रावली दिनांक 31/01/2022 को पेश हो।
	31/1/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / अन्य कार्य में [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 15/3/22 को पेश हो।
	15-3-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार उपस्थित। वादी प्रतिवादी ने अवगत कराया कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में [illegible] वाद [illegible] [illegible] वाद ग्रस्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उभय पक्षकार [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] पक्षकार [illegible] [illegible] पक्षकार [illegible]

फर्द अहकाम 2020/00230

राधेश्याम बनाम बद्री

…या / वर्ष : 129 / 2020

…क आज्ञा …कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वाद पत्र में वर्णित मुद्दे के सम्बन्ध में पूर्व से अन्य वाद विचाराधीन है जिसमें चाहे गये रिलीफ, समान पक्षकार एवं वाद प्रश्न भी समान है तथा विवाद भी एक ही होता है ऐसी स्थिति में धारा 10 सी.पी.सी. तहत उक्त वाद को पूर्ववर्ती वाद उनवान बद्री बनाम राधेश्याम क्र.नं. 37/18 के साथ शामिल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। (हस्ताक्षर)	